

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत


1. श्री प्रमोद कुमार सिंह पिता बृन्दा सिंहनिवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1381 दिनांक.10.5.2003 एवं 2832 E दिनांक 30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं. 61 के अधीन प्लॉट सं° 706,556 एवं 684, कुल दावित रकवा 1.34 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।
- क. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. 61, प्लॉट न. 706,556 एवं 684 जिसका खरीदगी रकवा 1.34 एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 749 दिनांक 21.01.1977 के माध्यम से श्री प्रमोद कुमार सिंह पिता बृन्दा सिंह के द्वारा लटन गंडु पिता देव नाथ गंडु एवं अशवा देवी पति दयाली गंडु से खरीदगी की गयी है।
2. मुनिया देवी पति मोती महतो, निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 2832 E दिनांक.30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं. 61,62 एवं 45 के अधीन क्रमश प्लॉट सं° 584,788 एवं 678, कुल दावित रकवा 0.6625 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।
- क. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 61,62 एवं 45 के अधीन क्रमश प्लॉट सं° 584,788 एवं 678 जिसका प्लॉटवार दावित रकवा 0.16 एकड़, 0.42 एकड़ और 0.0825 एकड़ है एवं कुल दावित रकवा 0.6625 एकड़ है, जिसे क्रमश केवाला सं. 5874 दिनांक 02.5.1986, 3493 दिनांक 19.6.1981 एवं 786 दिनांक 12.02.1986, 1594 दिनांक 22.3.1983 एवं 785 दिनांक 12.02.1983 के माध्यम से मुनिया देवी पति मोती महतो के द्वारा क्रमश लटन गंडु पिता देव नाथ गंडु, सूकरी गंडुनी पति गहन गंडु, बुधन गंडु, रमन गंडु एवं खेदन गंडु पिता जीवन गंडु, फुलीया देवी पति चरक गंडु एवं मोस्मात पुरनी गंडुनी पति स्व° गूलू गंडु से खरीदगी की गयी है।
3. श्री द्वारिका यादव एवं महेंद्र यादव पिता दशई यादव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 2832 E दिनांक 30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं. 22 के अधीन प्लॉट सं° 44, कुल दावित रकवा 0.34 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।
- क. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. 22, प्लॉट न. 44 जिसका खरीदगी रकवा 0.34 एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 365 दिनांक 27.01.2016 के माध्यम से श्री द्वारिका यादव एवं महेंद्र यादव पिता दशई यादव के द्वारा कोमल यादव पिता गुडन यादव से खरीदगी की गयी है।
4. श्रीमति गेनसी देवी पति चोहन साव निवासी ग्राम: बिंगलात, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1381 दिनांक.10.5.2003 के तहत ग्राम: बिंगलात, थाना सं: 49, (रैयती) खाता सं. 28 के अधीन प्लॉट सं° 304, कुल दावित रकवा 0.24 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।
- ख. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. 28, प्लॉट न. 28 जिसका खरीदगी रकवा 0.24 एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 568 दिनांक 20.02.1998 एवं 5033 दिनांक 24.4.1989 के माध्यम से श्रीमति गेनसी देवी पति चोहन साव के द्वारा लालबहादुर साव एवं शिवनारायण साव पिता बालेश्वर साव एवं चमन साव पिता स्व° होरिल साव से खरीदगी की गयी है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में विभाग अध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: बिंगलात, थाना सं: 49, जिला :- चतरा, खाता सं 28 प्लॉट 304 कुल रकवा 0.24 एकड़ एवं ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, खाता सं. क्रमश 61,62,45,22 के अधीन प्लॉट सं. 706,556, 684,584,788,678 एवं 44 कुल दावित रकवा क्रमश, 1.34.0.34 एवं 0.24 एकड़, रैयती भूमि, रैयती भूमि, जो क्रमश श्रीमति गेनसी देवी पति चोहन साव, श्री प्रमोद कुमार सिंह पिता बृन्दा सिंह, मुनिया देवी पति मोती महतो एवं श्री द्वारिका यादव एवं महेंद्र यादव पिता दशई यादव, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विभाग अध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व),

सी.सी.एल, राँची


30/8/2022